24/1/23

आज यह पत्रावली वादी के अब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) एवं 151 CPC पेश करने पर पेशी में लगी है। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का अप्राधिकृत से राजीनामा हो गया है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है तथा मौखिक तौर पर नोटलैस कर पुनः वाद पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वापिस लेने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी के वाद पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वादी के नोट लैस के आधार पर वाद इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर बोर्ड नं. से कर दी।

Notpress
दीपाली
Idbym
17/2/4

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2023.01.16 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested